कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 33 / 2021 / 2287 दिनांक : 18 / 05 / 2026

आदेश

इस न्यायक्षेत्र के अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं 06, जयपुर महानगर–द्वितीय में पदस्थापित श्रीमती रजनी शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त / नियम / 2017 दिनांकित 30.10.2017, संशोधित अधिसूचना 09.12.2017 व 26.07.2023 एवं राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-IV datede 11-Dec- 2024, के बिन्दु संख्या 26 की अनुसूची–II के खण्ड–बी में, शीर्षक (i) में संशोधन किये जाने तथा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.15(1) वित्त / नियम / 2017 पार्ट दिनांकित 10.03.2025 व उक्त आदेश के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दिनांकित 03.06.2025, 01.07.2025 तथा वित्तीय उन्नयन के संबंध में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र क्रमांक जी / आई / ए–4(i)(a)/150/2023/759 दिनांकित 14.08.2025 के अनुसरण में कर्मचारी के परिवीक्षाकाल पूर्ण किये जाने की दिनांक से एतद्द्वारा स्वीकृत करने पर निम्नानुसार वेतन स्थिरीकरण किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	कार्यभार ग्रहण करनें की प्रथम तिथि व न्यायक्षेत्र का नाम	परिवीक्षाकाल में कर्मचारी द्वारा लिये गये असाधारण / अवैतनिक अवकाश का विवरण	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतन स्थिरीकरण की तिथि	वर्तमान फिक्स वेतन	परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर स्वीकृत पे–मैट्रिक्स में लेवल व मूल वेतन	आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
01	श्रीमती रजनी शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. 06, जयपुर महानगर–II	18.04.2024 मध्याह्न पूर्व जयपुर महानगर–II अनुकम्पात्मक नियुक्ति	———	18.04.2026	12600 / –	मूलवेतन 17900 / – पे–लेवल(L-2) देय दिनांक 18.04.2026	01.07.2026

नोट :–

1. उपरोक्त कर्मचारीं को वित्तीय लाभ / वेतन भत्ते परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर नियमित वेतनस्थिरीकरण दिनांक (कॉलम सं० 05 में उल्लेखित) से नियमानुसार देय होगें।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II Jaipur dated 26-07-2023 के अनुसरण में जिन कर्मचारी का परिवीक्षाकाल दिनांक 01.04.2023 के बाद 31 दिसम्बर से 29 जून के मध्य पूरा हो उनकी आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई को देय होगी उक्त क्रम में ***उपरोक्त कर्मचारी की वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2026 निर्धारित की गई हैं एवं उक्तानुसार कर्मचारी की आगामी वेतनवृद्धि हर वर्ष 01 जुलाई को ही देय होगी 01 जनवरी को देय नहीं होगी।***
3. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

—Sd—
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : स्था0/33/2021/2188

दिनांक : 18/05/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय